

पत्रांक...1658/

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी,
कोडरमा ।

सेवा में,

सचिव/प्रधानाध्यापक,
एपीसिएबल पब्लिक स्कूल कटिया परसाबाद
जयनगर।

कोडरमा, दिनांक 08/09/2026

विषय:-

RTE Act के तहत मान्यता प्रदान करने हेतु विद्यालय का निरीक्षण के संबंध में।

प्रसंग:-

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड राँची के पत्रांक
779 दिनांक 15.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में अंकित करना है कि RTE Act के तहत मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार के प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019, पत्रांक 1148 दिनांक 18.07.2019 एवं पत्रांक 779 दिनांक 15.05.2026 के आलोक में आपके द्वारा विद्यालय से संबंधित अवधि विस्तार हेतु कार्यालय को उपलब्ध कराये गये ऑफलाईन दस्तावेजों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.09.2026 को आपके विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक 26.09.2026 को विद्यालय से संबंधित सम्पूर्ण मूल अभिलेखों के साथ सभी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी
कोडरमा।

08/09/26